औद्योगिक नीति 2019–24

''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़''

समावेशी विकास, आत्म निर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	दृष्टि (Vision)	03
2	संदेश (Mission)	03
3	प्रस्तावना	03—05
4	उद्देश्य	05—06
5	रणनीति	06—07
6	प्रशासनिक प्रबंधन	07
7	अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन	08
8	विपणन सहायता	08—09
9	निर्यात प्रोत्साहन	09
10	सिंगल विंडो प्रणाली	09
11	उद्यमिता विकास एवं कौशल उन्नयन	09—10
12	स्टार्टअप	10
13	क्लस्टर विकास	10
14	ब्रांड छत्तीसगढ़ (समृद्ध छत्तीसगढ़)	10
15	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	10—14
16	उद्योगो की श्रेणियां	14
17	निवेशको का वर्गीकरण	14—15
18	गैर वित्तीय सुविधाएं	15
19	औद्योगिक नीति की समयावधि एवं समीक्षा	15

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत मान्य परिभाषाएं	16—24
2	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची	25
3	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत प्राथमिकता उद्योगों की सूची	26—27
4	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत संतृप्त श्रेणी के उद्योगो की सूची	28
5	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत कोर सेक्टर के उद्योगो की सूची	29
6	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन	29—39
7	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत विकासखण्डों का श्रेणीकरण(अ,ब,स एवं द)	40—43
8	औद्योगिक नीति 2019—24 अंतर्गत गैर वित्तीय सुविधाएं	44—45

<u>औद्योगिक नीति 2019–24</u>

(1) <u>दृष्टि (**Vision**)</u>

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ – प्रदेश में समन्वित, समावेशी एवं धारणीय (Sustainable) औद्योगिकरण के माध्यम से आत्म निर्भर एवं निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण ।

(2) <u>मिशन (**Mission**)</u>

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करते हुए औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय दिग्गजों की नवाचार तकनीकों के साथ तालमेल एवं अभिसरण द्वारा एक आत्म निर्भर एवं निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिससे आम जन के जीवन स्तर में सुधार एवं खुशहाली में बढ़ोत्तरी हो सके।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उन विकासखंडों में अधिकतम अधोसंरचनात्मक व्यवस्था, प्रोत्साहन एवं सुविधायें उपलब्ध कराना ताकि उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का माहौल निर्मित हो सके एवं अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके।

खनिज साधन आधारित कोर सेक्टर उद्योगों को भी पिछड़े विकासखंडों में सभी प्रकार के औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन देने के साथ–साथ संपूर्ण प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी एवं दुग्ध उत्पादन आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा लघु वनोपज, वनौषधि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देना ताकि कृषकों एवं लघु वनोपज के संग्रहण एवं व्यवसाय से जुड़ें सुदूर वनांचल में निवासरत् लोगों की आय में वृद्धि हो सके।

प्रदेश की पहचान बन चुके नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी की परंपरा को उद्योगों की व्यवस्था से जोड़ना ताकि प्रदेश की कृषि आधारित संस्कृति एवं पर्यावरण में संतुलन स्थापित करते हुए सतत् विकास (Sustainable Development) सुनिश्चित हो सके।

समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के निवेश प्रोत्साहन के लिए स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले।

(3) <u>प्रस्तावना (**Introduction**) :–</u>

छत्तीसगढ़ की रत्नगर्भा धरती को प्रकृति ने अपार एवं अनमोल खनिज तथा वन संपदा से भरपूर बनाया है। राज्य की लाभप्रद, सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति राज्य को राष्ट्र के लगभग आधी आबादी से सीधे संपर्क उपलब्ध कराती है। यही नैसर्गिक उदारता राज्य के विकास का प्रमुख आधार है। प्रकृति के अनमोल उपहार के रूप में राज्य के कुल

भू–भाग का लगभग 44 प्रतिशत वन आच्छादित है। राज्य की सुरम्य, वनप्रांतर वादियों में लगभग सभी प्रकार खनिज, जैव विविध वनस्पति एवं आयुर्वेद में आवश्यक सभी जड़ी–बूटियां उपलब्ध हैं।

राज्य की प्रथम तीन औद्योगिक नीतियों में कोर सेक्टर में निवेश के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में रहा। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण सतत् विद्युत उपलब्ध कराने वाले राज्यों की अग्रणी पंक्ति में शामिल है। कुशल श्रम शक्ति की सुलभ, सहज एवं किफायती दर पर उपलब्धता तथा औद्योगिक निवेश हेतु अति महत्वपूर्ण कारक–श्रमिक शांति के बलपर ही राज्य आज देश में निवेश हेतु निवेशकों में पसंदीदा बना हुआ है।

औद्योगिक नीति 2014–19 कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए संभावित निवेशकों के लिए उत्साहजनक नहीं रही जिसके कारण वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास को अपेक्षित गति नहीं प्राप्त हो सकी। जबकि इसी अवधि में हमारे पड़ोसी राज्यों में कोर सेक्टर उद्योगों में छत्तीसगढ़ राज्य की अपेक्षा अधिक निवेश हुआ। हम राज्य की इस औद्योगिक नीति 2019–24 में इस विसंगति को दूर कर रहे हैं।

प्रदेश में प्रचुर मात्रा में धान के उत्पादन एवं बचत के आधिक्य को देखते हुए धान से बायो ईंधन/एथेनॉल निर्माण को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार हर्बल, वनौषधि एवं वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु भी विशेष प्रयास किये जाने का निर्णय हुआ है। इसके अतिरिक्त फार्मा उद्योग, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग, एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक युग के अन्य उद्योग भी हमारी प्राथमिकता है। अतः हमने पूर्व की नीतियों में उल्लेखित श्रेणीयों के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता उद्योगों की नई श्रेणी तैयार की गई है।

प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए रूचि रखने वाले निवेशकों/उद्यमियों के संपर्क में के आने वाले समस्त शासकीय विभागों की प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) की योजना को अत्याधुनिक सूचना संचार क्रांति का उपयोग कर, विभिन्न प्रकार की सम्मति, सहमति, लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयावधि में निराकरण की व्यवस्था की गई है। इसमें किसी प्रकार के विलंब के लिए संबंधित अधिकारियों की प्रकरणवार जवाबदेही निर्धारित की जा रही है।

राज्य के औद्योगिक जगत की आंतरिक शक्ति का राज्य के हित औचित्यपूर्ण उपयोग में करने के लिए परम्परागत रूप से राज्य में विद्यमान/स्थापित उद्योगों द्वारा अपने उद्योगों के किए जा रहे प्रतिस्थापन/शवलीकरण (DIVERSIFICATION) को अभिस्वीकृत करने एवं सहयोग करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे उद्योग अंतरिक्ष, रक्षा, रेल, परमाणु विज्ञान के विकास में आवश्यक विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। हमने स्थानीय आवश्यकता

को ध्यान में रख कर ऐसे उद्योगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किये हैं। राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना के साथ ही पुराने उद्योगों के प्रतिस्थापन, विस्तार एवं शवलीकरण करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का महति निर्णय उद्योगों की प्रतिनिधि संस्थाओं से चर्चा उपरांत लिया गया है।

राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यातायात के साधन एवं प्रदेश में संपर्क की गति बढ़ाने एवं आवागमन को सुचारू बनाने हेतु भूतल परिवहन के माध्यम सड़कों एवं रेल संपर्क को बढ़ाने हेतु तथा हवाई यात्रा नेटवर्क को विस्तार करने के लिए वर्तमान परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है ताकि राज्य के प्रत्येक हिस्से में आवागमन की उपलब्धता सुश्चित हो।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राज्य की में आमजन की भागीदारी, अतः इस नीति की रूपरेखा के निर्धारण हेतु जन सामान्य, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों, निवेश से संबंधित विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों, श्रम संघों के प्रतिनिधियों जैसे लगभग सभी हितधारकों (Stake Holders) से विस्तृत विचार–विमर्श किया गया है। इस नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से जहां एक ओर निवेशकों का राज्य सरकार पर विश्वास बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर राज्य का सर्वांगीण एवं समन्वित विकास होगा एवं राष्ट्र के GDP में राज्य का हिस्सा भी बढ़ेगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य समृद्व हो सकेगा।

(4) उद्देश्य (Objective) :–

4.1 राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन।

4.2 राज्य का संतुलित एवं समेकित विकास।

4.3 अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतम देशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

4.4 राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज एवं औषधीय उत्पादों में Value Addition, मूल्य संर्वधन हेतु Eco System तैयार करना।

4.5 राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराना।

4.6 उच्च प्राथमिकता / प्राथमिकता श्रेणी के अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना।

4.7 राज्य के कमजोर वर्ग के उद्यमियों भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण।

4.8 स्थानीय उद्योगों की आवश्यकतानुसार प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

4.9 टेक्सटाईल, फार्मा उद्योग, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग, एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक युग के उद्योग एवं अपरम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करना।

4.10 राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोगितापूर्ण समुचित दोहन।

4.11 राज्य के सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहित करना।

4.12. राज्य का सर्वांगीण आर्थिक विकास।

4.13 प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन।

4.14 राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन।

4.15 पर्यावरण की सुरक्षा।

4.16 जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योगों की प्रोत्साहन।

4.17 लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास

(5) रणनीति (Strategy) :—

5.1 प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकासखण्ड का चार विभिन्न श्रेणियों में यथा विकसित, विकासशील, पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े विकासखण्ड की श्रेणी में वर्गीकरण।

5.2 राज्य में उपलब्ध जैव विविधता, वनोपज, हर्बल एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों पर आधारित उद्योगों की उन्हीं जिलों में स्थापना को अधिक प्रोत्साहन की नीति।

5.3 प्रत्येक जिले में स्थानीय संसाधन एवं उपलब्ध कच्चा माल की उपलब्धता के अनुसार उन पर आधारित उद्योगों की उन्हीं जिलों में स्थापना पर अधिक प्रोत्साहन की नीति।

5.4 राज्य की आर्थिक एवं समाजिक उत्थान में सहभागिता हेतु कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, तृतीय लिंग एवं भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें Paramilitary Force के शामिल) एवं एलडब्ल्यूई प्रभावितों को अधिक प्रोत्साहन।

5.5 राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन के रोजगारपरक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में राज्य के उद्योगों की आवश्यकतानुसार श्रमबल उपलब्ध कराने हेतु पाठ्यक्रमों हेतु समन्वय। आवश्यकतानुसार नये आईटीआई, पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु समन्वय।

5.6 राज्य में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार हेतु अधिकाधिक इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास ।

5.7 राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में उद्योग के योगदान के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण अंचल में अधोसंरचनाओं का विकास।

5.8 औद्योगिक निवेश की क्षमता का राज्य के हित में दोहन करने, अवसर उपलब्ध कराने के लिए विकासखण्ड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना।

5.9 नवीन क्षेत्रों में निवेश हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था।

(6) प्रशासनिक प्रबंधन (Administrative Managment):–

6.1 राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को और अधिक सशक्त बनाकर वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

6.2 निवेश की प्रक्रिया में आवश्यक स्वीकृतियों, अनुमति एवं सहमति (अनुमोदन) की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।

6.3 आवेदन पत्रों का सरलीकरण एवं आवश्यक दस्तावेजों के स्वप्रमाणीकरण को मान्य करना।

6.4 उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक प्रत्येक अनुमति, सहमति, स्वीकृतियों के लिए निर्धारित समय–सीमा में ही निष्पादन हेतु विभाग प्रमुख स्तर पर नियमित अंतराल में एवं प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा एवं अधिकारियों को जवाबदेही सौंपना।

6.5 निवेश के प्रस्तावों के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए की राज्य स्तर पर नियमित अंतराल में समीक्षा।

6.6 नवीन उद्योगों की स्थापना, के अतिरिक्त स्थापित कार्यरत् उद्योगों को निरंतर उत्पादन बनाए रखने में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय वेबसाइट पर पृथक से व्यवस्था।

6.7 प्रदेश में उद्यमियों एवं युवाओं को प्रशिक्षण हेतु निरंतर कार्यशालाओं एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

6.8 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष मार्गदर्शन योजना।

6.9 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन में राज्य सरकार के पोर्टल **ई–मानक (E-MaNe-C)** के माध्यम से सहायता।

6.10 सूक्ष्म, लघु उद्योगों के वित्तपोषण में विभिन्न शासकीय योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना।

6.11 वर्तमान में प्रचलित Single Window System को और अधिक Seamless & Investor Friendly बनाना।

(7) अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन :–

7.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना।

7.2 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं भूमि बैंक हेतु CSIDC को उचित दरों पर निजी भूमि क्रय करने हेतु अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने की व्यवस्था का निर्माण।

7.3 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण हेतु स्थानीय स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन।

7.4 आवश्यकतानुसार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, Water & Effluent Treatment plant की PPP मॉडल पर स्थापना की व्यवस्था। औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण अनिवार्य बनाना।

7.5 समूह आधारित उद्योगों के लिए PPP मॉडल में Common Facility Centre की स्थापना। निजी क्षेत्र को Common Facility Centre की स्थापना हेतु प्रोत्साहन।

7.6 100 हेक्टेयर से बड़े प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रावधान।

7.7 प्रदेश में भण्डारण क्षमता को बढ़ाने हेतु लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु आबंटित की जाने वाली भूमि की दरों का युक्तियुक्तकरण।

7.8 प्रदेश के पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े विकासखण्डों में भू–आबंटन की दरों में कमी।

7.9 औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर एवं अन्य स्थानीय करों की दरों का युक्तियुक्तकरण।

7.10 औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए CSIDC द्वारा बहुमंजिला औद्योगिक भवन एवं शेड का निर्माण।

7.11 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सघन वृक्षारोपण की व्यवस्था।

(8) विपणन सहायता :–

8.1 राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों से खरीदी हेतु राज्य में स्थित केन्द्र शासन के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रभावशील MSME Procurement Policy के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सार्वजनिक उपक्रमों को प्रत्येक तिमाही के क्रय किए गए सामाग्रियों एवं उनके प्रदायकर्ताओं के विवरण संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था के प्रयास किये जावेंगे।

8.2 छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में आवश्यक संशोधन कर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगम/मंडल/आयोग/संस्थानों में खरीदी की प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए **ई–मानक (E-MaNe-C)**(E Market Network of Chhattisgarh) पोर्टल को क्रियान्वित किया गया है। जिससे शासकीय खरीदी में गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ साथ राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन सुनिश्चित होगा।

8.3 MSME Facilitation Council को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

8.4 राज्य के उद्योगों को उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनी में Participation हेतु प्रावधान किया जाएगा।

8.5 स्टार्ट अप योजना के अंर्तगत स्थापित होने वाली राज्य की इकाईयों को शासकीय खरीदी में प्राथमिकता हेतु प्रावधान किया जावेगा।

(9) निर्यात प्रोत्साहन (Export Facilitation) :–

9.1 राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को करों में विशेष रियायतों हेतु समन्वय।

9.2 राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के इकाई स्थल से निकटतम बंदरगाह तक परिवहन लागत पर अनुदान का प्रावधान ।

9.3 राज्य में निर्यात हेतु उत्पादों का चयन एवं उनकी गुणवत्ता निर्धारण हेतु आवश्यक कदम।

9.4 Buyer-Seller meet (क्रेता–विक्रेता सम्मेलन) का आयोजन।

9.5 नया रायपुर में प्रस्तावित APEDA के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकाधिक उपयोग कर निर्यात संवर्धन।

9.6 ग्रामोद्योग से संबंधित निर्यात संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं के कार्यालय हेतु समन्वय।

(10) सिंगल विंडो प्रणाली (Single Window System) :–

10.1 छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 के तहत राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर Single Window System के तहत निवेशकों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों को निर्धारित समय–सीमा में निराकरण की प्रणाली को सतत् निगरानी व्यवस्था से और सुदृढ़ बनाया जाने हेतु व्यवस्था की जावेगी।

10.2 एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए उद्योगों से संबंधित सभी विभागों की सुविधाऍं/कार्यवाहियॉ निर्धारित समय सीमा को कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए एक ही कार्यालय/पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित कराई जावे । इस विषय में प्रत्येक विभाग के द्वारा पृथक–पृथक आवेदन प्राप्त करने एवं अलग–अलग विभागों के द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रणाली के स्थान पर केवल एक ही नोडल कार्यालय/पार्टल, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीनस्थ होगा, के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उनके निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

(11) उद्यमिता विकास एवं कौशल उन्नयन (Enterpreneurship Development & Skill Upgradation) :–

11.1 प्रदेश में उद्यमिता विकास हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक संघों एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में किए जाएगें।

11.2 प्रदेश की उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने हेतु विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं विशेषज्ञों से सलाह कर युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का समावेश हेतु आवश्यक समन्वय किया जावेगा।

11.3 केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कौशल उन्नयन संबंधी हितग्राही मूलक योजनाओं को एक Online Platform पर लाकर स्थानीय उद्योगों में रोजगार हेतु Platform उपलब्ध कराये जाने हेतु व्यवस्था।

(12) स्टार्टअप (Startup) :–

12.1 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावशाली तंत्र का विकास।

12.2 राज्य में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्टार्टअप को दिये जाने वाले प्रोत्साहन का विस्तार एवं युक्तियुक्तकरण।

12.3 स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के प्रयास किये जावेंगे।

(13) क्लस्टर विकास (Cluster Development) :–

राज्य में स्टोन कटिंग, चावल, दाल एवं पोहा उद्योगों आदि के क्लस्टर्स की संभावना को पहचान कर विभिन्न जिलों के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाकर क्लस्टर विकास के प्रयास किये जावेंगे।

(14) ब्रांड छत्तीसगढ़ (समृद्ध छत्तीसगढ़, Prosperous Chhattisgarh)

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु देश/विदेश में समय–समय पर वर्कशॉप, सेमीनार एवं रोड–शो के कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।

(15) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (Provisions for Industrial Invesment Incentives) :–

15.1 राज्य में औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित रणनीति अपनाते हुए उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, विद्यमान उद्योगों में प्रतिस्थापन/शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) हेतु निवेश प्रोत्साहन के लिए इस औद्योगिक नीति में पात्र उद्योगों को, सामान्य, प्राथमिकता उद्योगों तथा उच्च

प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में विभिन्न निवेश प्रोत्साहन अनुदान, छूट, रियायतें दी जावेंगी :—

क्रमांक	सुविधा का विवरण	परिशिष्ट का विवरण
1	ब्याज अनुदान	परिशिष्ट—(6.1)
2	स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों हेतु)	परिशिष्ट—(6.2)
3	नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु)	परिशिष्ट—(6.3)
4	विद्युत शुल्क छूट(सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु)	परिशिष्ट—(6.4)
5	स्टाम्प शुल्क से छूट	परिशिष्ट—(6.5)
6	मंडी शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु)	परिशिष्ट—(6.6)
7	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	परिशिष्ट—(6.7)
8	भू—उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट	परिशिष्ट—(6.8)
9	औद्योगिक क्षेत्रो से बाहर (भूमि बैंक) भू—आबंटन सेवा शुल्क में रियायत	परिशिष्ट—(6.9)
10	**अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू—आबंटन पर भू—प्रीमियम में छूट/रियायत** (सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए),	परिशिष्ट—(6.10)
11	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	परिशिष्ट—(6.11)
12	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	परिशिष्ट—(6.12)
13	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान	परिशिष्ट—(6.13)
14	मार्जिन मनी अनुदान	परिशिष्ट—(6.14)
15	औद्योगिक पुरस्कार योजना	परिशिष्ट—(6.15)
16	दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान	परिशिष्ट—(6.16)
17	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान)	परिशिष्ट—(6.17)
18	परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगो हेतु)	परिशिष्ट—(6.18)
19	मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज	परिशिष्ट—(6.19)

इन सुविधाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट—6 (6.1 से 6.19 तक) में दर्शाया गया है।

15.2 राज्य में **'स' एवं 'द' श्रेणी के पिछडें विकासखंडों** में राइस मिल/पारबाइलिंग इकाई की स्थापना को सामान्य उद्योग श्रेणी हेतु घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

15.3 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग

के उद्यमियों को कंडिका – 15.1 में दर्शित अनुसार, दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

15.4 राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को कंडिका – 15.1 में दर्शित अनुसार, सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी । किंतु यदि कोई निवेशक कंडिका 15.3 एवं 15.4 दोनों श्रेणी अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ की पा़त्रता होगी।

15.5 औद्योगिक परियोजनाओं/भूमि बैंक/औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों/विस्थापितों हेतु शासन की पुर्नवास नीति का पालन कराया जायेगा एवं प्राप्त क्षतिपूर्ति मुआवजा की राशि से कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जायेगी ।

15.6 औद्योगिक पुरस्कार योजना पुरस्कार योजना को पुर्नगठित किया जावेगा एवं नवीन स्टार्टअप श्रेणी में भी पुरस्कार दिया जावेगा।

15.7 राज्य में औद्योगिक/वाणिज्यिक भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/ पूर्व से स्थापित उद्यम में विस्तार करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें पात्रतानुसार प्राप्त होंगी।

15.8 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी ।

15.9 राज्य के युवाओं में स्व–उद्यमों के अवसरों में वृद्धि हेतु ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' में इस नीति के अन्तर्गत निर्माण एवं सेवा उद्यमों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जावेंगे।

15.10 कोयला से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद की उत्पादन तकनीक को प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जावेगा।

15.11 ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, प्रतिस्थापन तथा शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन) पर प्राप्त होंगे ।

15.12 नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

15.13 ₹ 100 करोड से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में Bespoke Policy के अंर्तगत विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

15.14 जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा अथवा अल्ट्रामेगा उद्योगों के द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 के अंर्तगत उद्योग के स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है उन्हें यह अवसर उपलब्ध होगा कि वे औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प चुन सकेंगे। किंतु इस हेतु उन्हें उद्यम आकांक्षा/आई. ई. एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामने में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा।

एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन न किये जाने की स्थिति में इकाई जिस नीति के कार्यकाल में उत्पादन में आएगी, उस तिथि को लागू औद्योगिक नीति का लाभ लिए जाने की पात्रता होगी। विकल्प परिवर्तन की स्थिति में अथवा कोई विकल्प न लिए जाने की स्थिति में इकाई को पूर्व नीति के अंर्तगत प्राप्त किये गये लाभों को वापस किया जाना अनिवार्य होगा।

विकल्प चयन के लिए के लिए इस नीति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस में विकल्प चयन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

15.15 राज्य की पूर्व नीतियों (औद्योगिक नीति 2014–19 छोड़कर) के अंर्तगत यदि किसी निवेशक द्वारा मात्र स्टॉम्प शुल्क छूट सुविधा प्राप्त की गई हो, तो उसे औद्योगिक नीति 2019–24 की सुविधाएं दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर ही प्राप्त होंगी।

15.16 यदि किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में मात्र स्टॉम्प शुल्क छूट सुविधा प्राप्त की गई हो, तो उसे औद्योगिक नीति 2019–24 की सुविधाएं दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर ही प्राप्त होंगी। अन्यथा स्थिति होने पर आगामी औद्योगिक नीति में घोषित प्रावधानो के अनुसार सुविधाएं प्राप्त होंगी।

15.17 इस औद्योगिक नीति के अंर्तगत घोषित की गयी कंडिकाओं में वर्णित संस्थाओं को छोडकर अन्य भारत शासन, राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (यदि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधानित न हो) को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होंगे।

15.18 इस औद्योगिक नीति के अंर्तगत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम में स्थाई नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत, तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत, रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

15.19 इस औद्योगिक नीति के अंर्तगत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम को कंपनी अधिनियम–2013 के तहत प्रावधानित सीएसआर की राशि के व्यय हेतु प्रस्तावित गतिविधियों पर राज्य शासन के समन्वय से निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

15.20 यदि किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में प्रतिस्थापन हेतु पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण कर उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, तो उसे औद्योगिक नीति 2019–24 की सुविधाएं दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर ही प्राप्त होंगी। इसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ होने पर आगामी औद्योगिक नीति के प्रावधान लागू होंगे।

15.21 यथा आवश्यकता वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योगों के विशेष प्रकरणों में इस नीति में घोषित आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन के प्रस्ताव पर मंत्री–परिषद द्वारा पृथक से विचार एवं निर्णय लिया जा सकेगा।

15.22 ''अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रयोगशाला की स्थापना में रूचि रखने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा तथा भूमि सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं लघु उद्योगों के समतुल्य उपलब्ध करायी जायेंगी।''

15.23 राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे ।

परंतु, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में उपरोक्त निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्धता कम होने के कारण 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इन प्रावधानों का लाभ उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए प्रकरण स्वीकृत किये जा सकेंगे।

16 उद्योगों की श्रेणियां (Categories of Industries) : –

16.1 राज्य में ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' की दृष्टि से उद्योगों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम, मध्यम उद्यम, मध्यम सेवा उद्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, की श्रेणी में रखा गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से इन उद्योगों की परिभाषा वही मान्य ही जायेगी जो कि इस नीति के परिशिष्ट–1 के अंतर्गत वर्णित है।

16.2 ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' की दृष्टि से उद्योगों को उच्च प्राथमिकता उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, सामान्य उद्योग, कोर सेक्टर उद्योग, संतृप्त उद्योग के वर्गो में वर्गीकृत किया है तथा राज्य के सभी विकासखण्डों को औद्योगिक विकास एवं पिछड़ेपन की दृष्टि से क्रमशः अ, ब, स, एवं द श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। (परिशिष्ट–7 अ,ब,स एवं द अनुसार)।

16.3 कोर सेक्टर के उद्योग से आशय हैं मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र (परिशिष्ट–5 अनुसार)।

16.4 सामान्य श्रेणी के उद्योग से आशय हैं – उच्च प्राथमिकता उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग तथा कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग।

17 निवेशकों का वर्गीकरण (Categories of Investors) : –

17.1 इस नीति में ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' की दृष्टि से उद्यमी/निवेशकों को निम्नांकित अनुसार वर्गीकृत किया गया है :–

1. सामान्य वर्ग के उद्यमी।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी।
3. अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्योग।
4. महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग।
5. राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, दिव्यांग (निःशक्त) उद्यमी।
6. राज्य के महिला स्व सहायता समूह को महिला वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
7. राज्य के एफपीओ (Farmers Porducer Orgenisations) को सामान्य वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

17.2 निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः—

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग।
2. मध्यम उद्योग।
3. वृहद उद्योग ।
4. मेगा प्रोजेक्ट्स।
5. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स।

(18) गैर वित्तीय सुविधाएं (Non fiscal Facilities) :—

राज्य में तीव्र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति एवं औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने परिशिष्ट—8 अनुसार गैर वित्तीय सुविधाएं भी दी जावेंगी।

(19) प्रत्येक जिले में उत्पादन होने वाले प्रमुख फलों, फूलों, सब्जियों एवं औषधीय वनस्पतियों के प्रसंस्करण हेतु उन्हीं जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को उस जिले में स्थापित किए जाने वाले अन्य उद्योगों से अधिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जावेगी।

(20) राज्य में स्थापित किंतु बंद एवं बीमार उद्योगों में निवेशित राशि के राज्य हित में सदुपयोग की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील बंद एवं बीमार उद्योग की पुर्नवास नीति की समीक्षा कर उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावेगा।

(21) उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार सामान्य उद्योगों की नीति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (अ' एवं 'ब' श्रेणी के विकासखंडों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश ₹ 15 लाख की सीमा तक तथा स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखंडों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश ₹ 25 लाख़ की सीमा तक) प्रदान किये जावेंगे।

उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे, ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध हो सके।

(22) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रावधानों को आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षित किया जावेगा।

(23) औद्योगिक नीति की समयावधि एवं समीक्षा :—

औद्योगिक नीति 2019—24 की नियत दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक रहेगी। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस नीति के परिणाम के अनुसार औद्योगिक विकास की समीक्षा कर इस नीति के प्रावधानों को संशोधित/निरस्त या इसमें अतिरिक्त प्रावधानों को सम्मिलित कर सकेगा।

————000————

<u>परिशिष्ट–1</u>

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत् मान्य परिभाषाएं :–

(इस नीति की कंडिका 16.1 संदर्भ में)

1. ''**नियत दिनांक**'' का आशय औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रभावी होने के दिनांक 01 नवंबर, 2019 से है।
2. **औद्योगिक दृष्टि से विकासखण्डों का श्रेणी विभाजन <u>परिशिष्ट–7</u>** पर दर्शित 'अ', 'ब', 'स', एवं 'द', के अनुसार होगा।
3. ''**औद्योगिक क्षेत्र**'' से आशय है राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के आधिपत्य में तथा संधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, राज्य शासन/भारत सरकार से अनुमोदित/सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र एवं अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र ।
4. **"औद्योगिक इकाई"**–औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्यम के तहत् स्थापित है/स्थापनाधीन है।
5. ''**नवीन उद्योग**'' से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जिसके द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2019 या उसके पश्चात् व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को अथवा उसके पश्चात् तथा 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व की तिथि वर्णित हो। साथ ही निम्नांकित शर्तों में से हुई एक की पूर्ति अनिवार्यतः की गई है :–

   5.1– नवीन उद्योग की पात्रता हेतु निम्नांकित शर्तो की पूर्ति आवश्यक है:–

   (1) एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में भूमि औद्योगिक इकाई/कंपनी के नाम से होना अनिवार्य है।

   (2) **शेड–भवन** – कंडिका 1 की भूमि पर नवीन शेड एवं भवन निर्माण किया गया हो।

   (3) **प्लांट एवं मशीनरी** – कंडिका 1 एवं 2 की भूमि तथा शेड एवं भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

   5.2 विद्यमान उद्योग के परिसर में **औद्योगिक नीति 2019–24** के प्रभावी होने के पश्चात नवीन उद्योग प्रस्तावित किया जावे एवं इस आशय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारण करते हुए नवीन उद्योग के रूप में स्थापित किया जाकर इस नीति

की अवधि में उत्पादन में आए तथा इस आशय का नियमानुसार जारी वैध प्रमाण पत्र भी धारण करता हो। साथ यह भी आवश्यक है कि वह स्पष्ट रूप पृथक इकाई के रूप में अस्तित्व रखता हो, तथा इसे नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य किये जाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूर्ण करता हो : —

(1) नियत दिनांक के पश्चात् नवीन इकाई के नाम से जारी उद्यम आकांक्षा, आई.ई.एम. आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो, एवं उद्यम आकांक्षा, आई.ई.एम., एवं औद्योगिक लायसेंस वैध हो ।

(2) नवीन उद्योग के नाम से पृथक विद्युत कनेक्शन हो।

(3) नवीन उद्योग के नाम से पृथक जी.एस.टी. पंजीयन हो।

(4) उपरोक्त भूमि पर नवीन शेड–भवन निर्मित हो।

(5) नवीन निर्मित शेड–भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

(6) नवीन उद्योग द्वारा पृथक से कच्चा माल क्रय एवं निर्मित उत्पादों के विक्रय संबंधी पंजीयन पृथक से संधारित हो।

(7) नवीन इकाई के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(8) विद्यमान परिसर में स्थापित पूर्व से विद्यमान उद्योग को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित किसी अनुबंध/अधिसूचना का उल्लंघन न होता हो,

(9) यह भी आवश्यक होगा कि नवीन उद्योग का कच्चामाल अथवा उत्पाद विद्यमान उद्योग के कच्चे माल अथवा उत्पाद के रूप में उपयोग न होता हो अर्थात नवीन उत्पाद बैकवर्ड अथवा फारवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में न हो एवं नवीन उत्पाद का वर्गीकरण विद्यमान उत्पाद से भिन्न हो।

6 ''**विद्यमान उद्योग**'' से आशय ऐसे समस्त उद्योगों से है जिन्होंने नियत दिनांक अर्थात् 01 नवंबर, 2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

7 ''**विद्यमान उद्योग के विस्तार**'' से आशय ऐसे उद्योगों से है जिन्होंने नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेशित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश किया हो, जिससे उद्योग विभाग में पंजीकृत क्षमता या औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती हो इसके अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को अथवा उसके पश्वात् से 31 अक्टूबर, 2024 के मध्य हो। ''विस्तारीकरण'' की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विद्यमान इकाई को सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया हो) इस

बाबत् सूचना देकर विस्तार हेतु प्रस्तावित निवेश की निर्धारित मात्रा के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8 अ. ''**सूक्ष्म एवं लघु उद्योग**'' से आशय है ऐसे उद्योगों से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006'' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषा के अंतर्गत आता हो तथा ''उद्यम आकांक्षा'' एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।

ब. ''**सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम**'' से आशय ऐसे उद्यम से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006'' में ''सेवा श्रेणी'' में आता हो एवं समय–समय पर जारी की गई ''सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम'' की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए गए की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित हो ।

9 अ. ''**मध्यम उद्योग**'' से आशय ऐसे उद्योगों से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006'' के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश किया हो तथा औद्योगिक इकाई ने सक्षम अधिकारी से यथास्थिति आशय पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित हो ।

ब. ''**मध्यम सेवा उद्यम**'' से आशय ऐसे उद्यम से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006''के प्रावधानों के तहत''मध्यम सेवा उद्यम'' की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा सेवा गतिविधि प्रारंभ किए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा गतिविधि प्रारंभ किए जाने का प्रमाण–पत्र धारित हो ।

10 ''**वृहद उद्योग**'' से आशय ऐसे उद्योग से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक एवं स्थायी पूंजी निवेश रु. 100 करोड़ तक हो {मेगा प्रोजेक्ट की परिभाषा के अंतर्गत व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता वस्तुएं, फार्मास्युटिकल, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग, बॉयो टेक्नालॉजी, जैव ईंधन (बायोफ्यूल), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, टेक्सटाईल, दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया इलेक्ट्रीकल व्हीकल निर्माण एवं इलेक्ट्रीकल व्हीकल हेतु बैटरी निर्माण एवं उसके स्पेयर्स, एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ) को छोड़कर} तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित हो ।

11 ''**मेगा प्रोजेक्ट**'' से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने 100 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु 1000 करोड़ रूपये तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो। इस हेतु उनके पक्ष में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र जारी किया गया हो एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया

हो। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की स्थिति में राज्य के उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी किया गया हो।

परन्तु, निम्नलिखित सेक्टर में नवीन मेगाप्रोजेक्ट्स निम्नानुसार में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश पर मान्य किया जावेगा :—

क्र.	श्रेणी	न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश
1	व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रिानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद	₹ 25 करोड़
2	फार्मास्युटिकल उद्योग	₹ 15 करोड़
3	सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग	₹ 10 करोड़
4	टेक्सटाईल	₹ 05 करोड़
5	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण,	₹ 15 करोड़
6	सायकल निर्माण / सायकल उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद / उपकरण / स्पेयर्स	₹ 10 करोड़
7	इलेक्ट्रीक दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन एवं बैटरी तथा उनके स्पेयर्स	₹ 10 करोड़
8	एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ), रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग,	₹ 50 करोड़
9	लघु वनोपज आधारित लाख उद्योग एवं बांस आधारित उद्योग	₹ 15 करोड़

12 ''**अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट**'' से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने ₹ 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करना प्रस्तावित हो एवं उसके पक्ष में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा आई.ई.एम / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र जारी किया गया हो तथा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की स्थिति में राज्य के उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो।

13 ''**उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग**'' से आशय है ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2019—24 के <u>परिशिष्ट—2</u> में उल्लेखित हैं।

14 ''**प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग**'' से आशय है ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2019—24 <u>परिशिष्ट —3</u> में उल्लेखित हैं।

15 ''**संतृप्त श्रेणी के उद्योग**'' से आशय है ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2019—24 के <u>परिशिष्ट—4</u> में उल्लेखित हैं।

16 ''**कोर सेक्टर के उद्योग**'' से आशय है ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2019—24 के <u>परिशिष्ट—5</u> में उल्लेखित हैं।

17 **"सामान्य उद्योग"** से आशय है ऐसे उद्योग से जो कि इस नीति के ''उच्च प्राथमिकता श्रेणी'' ''प्राथमिकता श्रेणी'',''संतृप्त श्रेणी'' एवं ''कोर सेक्टर'' के उद्योगों की श्रेणी में नहीं आते है।

18 ''**स्थायी पूंजी निवेश**'' से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का प्रतिस्थापन/शवलीकरण/विस्तारीकरण (जो लागू हो) हेतु भूमि/भूमि–विकास, शेड–भवन निर्माण, नवीन प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण पर किये गये निवेश।

19 ''**वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**'' से आशय है कि –

(क) ''**सूक्ष्म एवं लघु उद्योग**'' – उद्योग द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 45 दिन पश्चात् तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो।

(ख) ''**मध्यम उद्योग**'' – उद्योग द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 75 दिनों बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्कि उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

(ग) ''**वृहद् उद्योग**'' – उद्योग द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 100 दिन बाद तक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।

(घ) ''**मेगा प्रोजेक्ट**'' – व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता वस्तुएं, फार्मास्युटिकल, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग, बॉयो टेक्नालॉजी, जैव ईंधन (बायोफ्यूल), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, टेक्सटाईल, दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया इलेक्ट्रीकल व्हीकल निर्माण एवं इलेक्ट्रीकल व्हीकल हेतु बैटरी निर्माण एवं उसके स्पेयर्स, एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ) में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद के मेगा प्रोजेक्ट्स तथा ₹ 100 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक के स्थायी पूंजी निवेश की स्थिति में उद्योग द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक जो भी पहले हो।

(ड.) ''**अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट**'' – ₹ 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में तथा व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता वस्तुएं, फार्मास्युटिकल, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग, बॉयो टेक्नालॉजी, जैव ईंधन (बायोफ्यूल), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, टेक्सटाईल, दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया इलेक्ट्रीकल व्हीकल निर्माण एवं इलेक्ट्रीकल व्हीकल हेतु बैटरी निर्माण एवं उसके स्पेयर्स, एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ) निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पादन की श्रेणी में आने वाले अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में उद्योग द्वारा

संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 240 दिनों बाद या राज्य के उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

20 **''वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र''** :–

(1) उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

(2) एक उद्योग को एक ही उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चाहे वह उत्पादन करने, विस्तारीकरण, शवलीकरण अथवा प्रतिस्थापन करने पर तद्नुसार पूंजी निवेश रोजगार उत्पादों के नाम एवं उनकी वार्षिक क्षमता संबंधी प्रविष्टियां उत्पादन प्रमाण में दर्ज की जाएगी। इस के आधार पर औद्योगिक नीति के अंर्तगत ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' प्राप्त करने हेतु व्यवस्था की जावेगी।

(3) सेवा क्षेत्र की इकाईयों को भी सेवा गतिविधि आरंभ करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(4) ताप विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य विद्युत उत्पादन करने वाली इकाईयों का उत्पादन दिनांक वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक का निर्धारण इस हेतु उर्जा विभाग अथवा उनके द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर किया जावेगा।

21 **''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी''** से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में तय परिभाषा के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं उक्त वर्ग में अधिसूचित बाबत् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र धारी हो ।

22 **''अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योगों से है जो राज्य के ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी'' द्वारा स्थापित किए गए हो अथवा प्रस्तावित हों। भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की स्थिति में सभी अंशधारक तथा सहकारी संस्था अथवा सोसायटी अधिनियम के तहत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के हो। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो एवं वैध उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारक हों एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण धारण करता हो।

23 इस नीति में प्रावधानित सुविधाओं के लिए राज्य शासन की अंश पूंजी से स्थापित सहकारी संस्था के रूप में गठित संस्था होने की स्थिति में ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' प्राप्त करने के लिए राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम की अंश पूंजी न्यूनतम 90 प्रतिशत होना आवश्यक होगी एवं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

24 ''**महिला उद्यमी**'' से आशय राज्य की मूल निवासी ऐसी महिला से है, जिसने उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो, भागीदारी फर्म होने की

स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदारी, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं हों एवं उनके उद्योग में प्रबंधकीय, कुशल एवं अकुशल श्रेणी में नियोजित कुल रोजगार का न्यूनतम कुल 50 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हो।

25 ''**विनिर्माण उद्योग**'' से आशय ऐसे प्रक्रिया से है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के तहत विनिर्माण की श्रेणी में आने वाले उद्योग।

26 ''**जॉब वर्क**'' से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जो छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए हो।

27 ''**दिव्यांग/निःशक्त**'' से आशय उस व्यक्ति से है जो भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत आता हो एवं इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारी हो।

28 ''**सेवानिवृत्त सैनिक**'' से आशय है जो भारत सरकार के अर्द्धसैनिक बलों/सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं इस आशय का संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय से प्रमाण–पत्र धारित हो। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।

29 ''**नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति**'' से आशय राज्य के ऐसे मूल निवासी से है जो राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों में विकलांग/दिवंगत हुए व्यक्ति अथवा उसके परिवार का सदस्य हो जिसमें संबंधित के माता–पिता, पुत्र–पुत्री अथवा पति–पत्नि हो एवं इस संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारी हो ।

30 ''**महिला स्व सहायता समूह**'' से आशय है राज्य में पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह।

31 ''**योजना**'' से आशय है –

(अ) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के सक्षम अधिकारी के समक्ष दाखिल उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन में (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) दर्शायी गयी परियोजना लागत।

(ब) मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में राज्य शासन के साथ किए गए एम.ओ.यू. में उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) या भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आशय पत्र/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस जारी किए जाने हेतु किए गए आवेदन/जारी अभिस्वीकृति में उल्लेखित परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) में जो भी कम हो।

32 ''**निर्यातक उद्योग**'' से तात्पर्य ऐसे उद्योग से है जिसे निर्यात हेतु भारत सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा L.O.P. (Letter of Permission) जारी किया गया हो।

33 ''**शवलीकरण**'' से आशय ऐसे विद्यमान उद्योग से है जो इस नीति के नियत दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है बशर्तें विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं

मशीनरी मद में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 % किया हो तथा कुल रोजगार में भी 10 % की वृद्धि हुई हो। ''शवलीकरण'' की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विद्यमान इकाई को अनिवार्यतः सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया हो) को इस बाबत् सूचना देकर सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

34 ''**प्रतिस्थापन**'' से आशय है कि सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों में औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी का न्यूनतम 125% निवेश, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुसार, पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कुल रोजगार में 10% की वृद्धि होती हो तो उन्हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन होने पर स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि के 50% तक की सीमा में छूट की पात्रता होगी। इस हेतु प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों को न्यूनतम 15 वर्ष पुराना होना चाहिये। साथ ही आयकर विवरणी में उनकी कीमत 20% से कम होना चाहिये (After Depriciation) तथा इकाई पूर्व अवधि में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार DPR में उल्लेखित पूर्ण क्षमता तक कार्यरत रही हो। यह भी आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात प्रतिस्थापन के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

35 ''**सावधि ऋण**'' सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4(ए) के अंतर्गत घोषित लोकहित वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत गठित वित्त निगम, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एवं अन्य वित्त संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋण (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) ।

36 ''**परियोजना प्रतिवेदन**'' से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना विस्तारीकरण, शवलीकरण हेतु राज्य के किसी विभाग/उद्यमिता विकास केन्द्र/CITCON/MSME संस्थान, राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक कंसल्टेंट या निजी क्षेत्र के किसी कंसलटेंट, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, चार्टर्ड इंजीनियर से तैयार कराया गया, परियोजना प्रतिवेदन जिसमें परियोजना की वित्तीय लागत, विपणन की संभावनाएं, कच्चा माल की उपलब्धता तकनीकी पहलुओं, लाभ–हानि आदि का उल्लेख हो।

37 ''**अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक एवं प्रबंधकीय पद**'' के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषा ही मान्य होगी।

38 ''**अप्रवासी भारतीय**'' के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी परिभाषा ही मान्य होगी।

39 ''**एफडीआई निवेशक**'' के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी परिभाषा ही मान्य होगी।

40 ''**विदेशी तकनीक से संबंधित उद्योग**'' वे उद्योग होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक परियोजना स्थापित करने हेतु सम्मति/सहमति प्रदान की गई हो।

41 ''**राज्य के मूल निवासी**'' के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषा में परिभाषित अनुसार तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारी हो ।

42 **"बंद/बीमार औद्योगिक इकाई"** – से आशय उन उद्योगों से है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारी हो तथा राज्य शासन द्वारा घोषित बंद/बीमार उद्योग नीति के अंर्तगत राज्य शासन द्वारा समय समय पर इस आशय हेतु पारिभाषित / घोषित की गई हो।

43 **उद्योग परिसर** – राज्य शासन/उद्योग संचालनालय अथवा सीएसआईडीसी अथवा इस नीति में मान्य की गई किसी एजेंसी द्वारा उद्योग स्थापना हेतु आबंटित भूमि, अथवा इस प्रयोजन हेतु क्रय की गई भूमि की चर्तुसीमा।

टीपः– इस चर्तुसीमा में वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन की भूमि सम्मिलित नहीं होगी।

44 **"ग्रामीण क्षेत्र"** से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में गांव की परिभाषा के तहत आता हो या कोई नगरीय क्षेत्र जो 2011 की जनगणना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर तैयार आंकड़ों के अनुसार जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो।

45 **"ग्रामोद्योग इकाई"** से आशय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्गीकृत इकाई की स्थापना (प्रतिबंधात्मक/नकारात्मक उद्योगों को छोड़कर) ।

46 ''**स्थायी रोजगार**'' – उत्पादन प्रमाण–पत्र धारी स्थापित उद्योग में अकुशल/कुशल /प्रबंधन श्रेणी के कार्मिकों को उनकी सेवाओं हेतु उद्योग द्वारा सीधे दिये जाने वाले वेतन/पारिश्रमिक को स्थायी रोजगार में माना जावेगा। ठेकेदारों के कराए गए रोजगार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

47 ''**भूमि बैंक**'' से आशय है इन परिभाषाओं के बिंदु क्रमांक –3 में वर्णित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्क एवं औद्योगिक संस्थानों से बाहर औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली शासकीय भूमि एवं निजी भूमि जोकि राज्य शासन/उद्योग संचालनालय अथवा सीएसआईडीसी अथवा इस नीति में मान्य की गई किसी एजेंसी के नाम पर/आधिपत्य में हो।

48 ''**व्हाईट गुड्स**'' – से आशय है टेलीविजन, एयर कंडीशनर, रेफ्रीजरेटर एवं वाशिंग मशीन इत्यादि।

49 ''**नेट एसजीएसटी**'' से आशय है केवल छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय की गई वस्तुओं के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कोष में विभिन्न प्रकार के पात्र इनपुट टेक्स क्रेडिट (Eligible Input Tax Credit) के समायोजन के पश्चात वास्तव में जमा की गई

एसजीएसटी राशि से होगा। इनमें किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम में राज्य के बाहर विक्रय किये गये उत्पाद के विरूद्ध एसजीएसटी/आईजीएसटी राशि सम्मिलित नही होगी। इसमें इकाई द्वारा क्रय की गई प्लांट एवं मशीनरी/कच्चा माल/अनुषांगिक वस्तुओं हेतु जमा की गई एसजीएसटी की राशि सम्मिलित नही होगी। तथापि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत लागू इनपुट टेक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) समायोजन में मान्य होगी।

नेट जीएसटी छूट उन्हीं उत्पादों में मान्य होगी, जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में हो। इस हेतु विस्तृत निर्देश/प्रक्रिया पृथक से जारी किए जावेंगे।

टीप– परिभाषाओं के संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

————————

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत् उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची

(इस नीति की कंडिका 16.1 के अंर्तगत वर्णित परिभाषाओं के बिंदु क्रमांक – 13 के संदर्भ में)

1 हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग

2 आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स

3 फार्मास्यूटिकल उद्योग

4 व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद

5 रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग,एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग

6 जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद

7 टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)

8 रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स

9 निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कम्पनी एवं भारतीय कम्पनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग।

10 निर्यातक उद्योग

11 जैव ईंधन/ एथेनॉल हेतु रिफाइनरी (मार्कफेड से खरीफ फसल के उपार्जित अतिरिक्त धान क्रय किये जाने की शर्त पर तथा सहकारी शक्कर कारखानों आधारित)

12 इलेक्ट्रिक दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन एवं उनके बैटरी का निर्माण

13 इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के उपकरण निर्माण

14 एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ)

15 राज्य में उत्पादित फल, फूल, सब्जी एवं अन्य हार्टीकल्चर उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग।

16 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

टीप–1 उच्च प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

2 यदि किसी उद्योग द्वारा उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत् प्राथमिकता उद्योगों की सूची

(इस नीति की कंडिका 16.1 के अंतर्गत वर्णित परिभाषाओं के बिंदु क्रमांक – 14 के संदर्भ में)

(अ) वर्गीकरण के आधार पर –

1 साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
2 प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
3 नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
4 एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5 भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी को छोड़कर)
6 ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
7 नवीन एवं नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।
8 विद्युत उत्पादन, पारेषण, एवं वितरण में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।
9 जेम्स एवं ज्वेलरी
9 मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
10 स्पोर्टस गुड्स।
11 कोयले से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद
12 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।
13 जैविक खाद, जैविक कीटनाशक एवं बोनमील का निर्माण

टीप–1 प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

2 यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

(ब) उत्पाद आधारित

1 मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग, हाउस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
2 ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
3 स्व–चालित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स/एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स
4 बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)
5 लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)

6 फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)

7 रेडीमेट गारमेन्ट्स (जिनमें यंत्र एवं संयंत्र में न्यूनतम 25 लाख रूपयों का पूंजी निवेश हो)

8 सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स

9 वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग

10 कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स

11 फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पालिशिंग तथा टाईल्स निर्माण

12 पोलिस्टर स्टेपल फाईबर

13 ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबुन एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विंडो / डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रूपये हो।

14 सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश ₹ 10 लाख)

15 वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश ₹ 25 लाख हो),

16 हैंड पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण

17 सबमर्सिबल पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण

18 इलेक्ट्रिक मोटर एवं स्पेयर्स का निर्माण

19 ग्रेन साइलो

20 प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री

21 पेन्ट/डिस्टेम्पर

22 पोहा, मुरमुरा

23 नान प्लास्टिक बैग्स

24 ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीप–1 प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

2 यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची

(औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची)

(इस नीति की कंडिका 16.1 के अंर्तगत वर्णित परिभाषाओं के बिंदु क्रमांक – 15 के संदर्भ में)

(1) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(2) आरा मिल (सॉ मिल)
(3) सभी प्रकार के पोलिथिन बेग, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल उत्पाद,
(4) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
(5) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
(6) पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर
(7) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(8) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(9) एस्बेस्टस एवं उस पर आधारित उद्योग
(10) लेदर टैनरी
(11) स्पंज आयरन (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
(12) एकीकृत स्टील प्लांट (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
(13) तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
(14) स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
(15) राइस मिल एवं परबॉईलिंग इकाई(केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
(16) सभी प्रकार के उत्पादों की रिपैकिंग।
(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

टीप –संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत कोर सेक्टर उद्योगों की सूची

(इस नीति की कंडिका 16.1 के अंतर्गत वर्णित परिभाषाओं के बिंदु क्रमांक – 16 के संदर्भ में)

''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' की दृष्टि से निम्नांकित मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस् कोर सेक्टर की श्रेणी के उद्योग :–

1 स्टील संयंत्र
2 सीमेंट संयंत्र
3 ताप विद्युत संयंत्र
4 एल्युमिनियम संयंत्र

टीप –

इस नीति के अवधि में ''स'' एवं ''द'' श्रेणी के विकासखंडों में प्रस्तावित एवं स्थापित किये जाने वाले कोर सेक्टर के नवीन उद्योगों को इस नीति में अन्यथा कोई अपात्रता न होने की स्थिति में मात्र स्टाम्प शुल्क से छूट, विद्युत शुल्क से छूट एवं दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए की पात्रता होगी।

परिशिष्ट–6

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत औद्योगिक निवेश हेतु

आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान,छूट एवं रियायतें)

(इस नीति की कंडिका 15.1 के अंर्तगत वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में)

परिशिष्ट–(6.1)

(1) **ब्याज अनुदान** :– सामान्य वर्ग के उद्यमियो द्वारा स्थापित पात्र उद्योग के लिए प्राप्त किये गये ऋण पर निम्नलिखित अनुसार ब्याज अनुदान देय होगा : –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	40	10	6	50	15	7	50	20
	ब	6	45	15	7	50	20	8	50	25
	स	7	55	25	8	60	30	9	60	35
	द	8	65	30	10	70	40	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	25	20	5	35	30	6	35	35
	ब	5	30	30	5	40	40	7	40	45
	स	7	50	40	8	60	50	9	60	55
	द	8	60	40	10	70	50	11	70	55

परिशिष्ट–(6.2)

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

सामान्य वर्ग के उद्यमियो द्वारा स्थापित पात्र **सूक्ष्म उद्योगों** को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान देय होगा –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	20	10	30	14	35	15
	ब	25	12	35	16	40	18
	स	30	15	40	18	45	20
	द	40	18	50	20	55	24

(3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु

औद्योगिक नीति 2019–24			
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 35 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत

श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप :–

1 इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगो अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिए मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

2 इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य संपूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षो में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट जीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(4) विद्युत शुल्क छूट :–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

अ– सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर छोड़कर) उद्योग –

प्रस्तावित औद्योगिक नीति 2019–24			
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 04 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप – कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों वालो उद्योगो को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

ब– कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योग – इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल **स्वयं के खपत पर** विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

1	श्रेणी अ (परिशिष्ट–7 (अ))	निरंक
2	श्रेणी ब (परिशिष्ट–7 (ब))	निरंक
3	श्रेणी स (परिशिष्ट–7 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक 50 प्रतिशत छूट
4	श्रेणी द (परिशिष्ट–7 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट

टीप – कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों वालो उद्योगो को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

<u>परिशिष्ट–(6.5)</u>

(5) <u>स्टाम्प शुल्क से छूट</u> –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित परिशिष्ट –5 अनुसार) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :–

5.1 (अ) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।
(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

5.2 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

5.3 भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग।

5.4 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू–खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर।

5.5 बंद/बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय–विक्रय से संबंधित विलेखों पर।

5.6 फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर।

5.7 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर ।

परिशिष्ट–(6.6)

(5) <u>मंडी शुल्क से छूट</u> –

राज्य में स्थापित होने वाले **नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को** राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम **कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये** कृषि उत्पादों (परिशिष्ट–4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले **मंडी शुल्क से पूर्ण छूट**, अधिकतम राशि ₹ 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये **स्थायी पूंजी निवेश के 75%** से अधिक नही होगी।

परिशिष्ट–(6.7)

(6) <u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान</u> –

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यागों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवदेन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, स्थायी पूजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 2.50 लाख।

परिशिष्ट–(6.8)

(7) <u>भू–उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट</u> –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

परिशिष्ट–(6.9)

(8) <u>औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू–आवंटन सेवा शुल्क में रियायत</u> :–

औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क निम्नानुसार रहेंगे –

क – निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि,

ख – निजी / शासकीय भूमि के आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि,

टीपः– यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी / शासकीय भू–आवंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग / सी.एस.आई.डी.सी. को देय 10 प्रतिशत भू–आवंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा । जिला प्रशासन को देय 05 प्रतिशत भू–अर्जन शुल्क भू–प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

परिशिष्ट–(6.10)

(9) अनुसूचित जनजाति / जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट / रियायत :–

(केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों / उद्यमों के लिए) –

(1) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू–भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में (श्रेणी 'स' एवं 'द') 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जावेगा । आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी ।

(3) अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड / भूमि की मात्रा **''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम–2015''** में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट–(6.11)

(10) – <u>गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान</u>–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड (ZED) प्रमाणीकरण उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/ अन्र्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम ₹ 5 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

परिशिष्ट–(6.12)

(11) <u>तकनीकी पेटेन्ट अनुदान</u> –

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम ₹ 10 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

परिशिष्ट–(6.13)

(12) <u>प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान</u> –

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 10 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

परिशिष्ट–(6.14)

(13) <u>मार्जिन मनी अनुदान</u> –

राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, तृतीय लिंग एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा ₹ 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 50 लाख होगी।

परिशिष्ट–(6.15)

(14) –औद्योगिक पुरस्कार योजना–

निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः ₹ 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा –

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग
5. स्टार्टअप इकाईयां

टीप – दिये जाने वाले पुरस्कार उन उद्योगों हेतु नहीं होगे जो राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/संतृप्त उद्योगों की श्रेणी में हो।

परिशिष्ट–(6.16)

(15) दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत अनुदान की राशि की अनुदान प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रूपये पांच लाख वार्षिक की सीमा तक की जावेगी।

परिशिष्ट–(6.17)

(16) इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)–

17.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

17.2 विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंस्लटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

परिशिष्ट–(6.18)

(17) परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)

औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में प्रथम बार निर्यातित राज्य में कहीं भी स्थापित शत प्रतिशत निर्यातक इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों **(खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु)** वस्तुओं के निर्यात के लिये निर्माण के स्थान से निकटतम बन्दरगाह एवं विमानपत्तन पोर्ट जहां से वस्तु का निर्यात होना है तक, वास्तविक भाड़ा (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के बराबर भाड़ा सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी अधिकतम 05 वर्ष तक होगी।

परिशिष्ट–(6.19)

(18) मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु विशेष पैकेज –

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मेगा एवं अल्ट्रा मेगाप्रोजेक्ट्स के प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली केबिनेट समिति प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज की अनुमति प्रदान करेगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत विकासखंडों का श्रेणीकरण

(इस नीति की कंडिका 16.1 के अंर्तगत वर्णित परिभाषाओं के बिंदु क्रमांक – 2 के संदर्भ में)

परिशिष्ट–7 (अ)

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत श्रेणी – अ (विकसित क्षेत्र– 15)

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	बिलासपुर	बिल्हा
2.	कोरबा	कोरबा, पाली
3.	रायगढ़	रायगढ़, खरसिया
4.	दुर्ग	दुर्ग, धमधा
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
6.	रायपुर	धरसींवा, तिल्दा
7.	जांजगीर–चांपा	अकलतरा, बम्हिनीडीह(चांपा)
8.	बलौदाबाजार–भाटापारा	भाटापारा, सिमगा, बलौदाबाजार

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत श्रेणी – ब (विकासशील क्षेत्र – 25)

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	कोरबा	कटघोरा, करतला, पोड़ी–उपरोड़ा
2.	मुंगेली	पथरिया, मुंगेली
3.	रायगढ़	घरघोड़ा, तमनार, पुसौर
4.	दुर्ग	पाटन
5.	कवर्धा	कवर्धा, पण्डरिया
6.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खैरागढ़
7.	बलौदाबाजार	पलारी
8.	धमतरी	धमतरी, कुरूद, मगरलोड़
9.	म्हासमुंद	महासमुंद, सरायपाली, बागबहरा
10.	रायपुर	अभनपुर, आरंग
11.	बिलासपुर	तखतपुर, मस्तूरी

परिशिष्ट–7 (स)

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत श्रेणी – स (पिछड़े क्षेत्र – 40)

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	मुंगेली	लोरमी
2.	बलोद	गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, डौंडीलोहारा, डौंडी
3.	बेमेतरा	बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़
4.	कवर्धा	बोड़ला, सहसपुर–लोहारा
5.	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़, कसडोल
6.	धमतरी	नगरी
7.	गरियाबंद	छुरा, गरियाबंद, फिंगेश्वर
8.	महासमुंद	बसना, पिथौरा,
9.	कांकेर	कांकेर, चारामा
10.	बिलासपुर	कोटा, पेण्ड्रा रोड (गौरेला–1), पेण्ड्रा (गौरेला–2)
11.	जांजगीर–चांपा	बलौदा, नवागढ़, सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा, डभरा, पामगढ़
12.	रायगढ़	धरमजयगढ़, लैलूंगा, सारंगढ़, बरमकेला
13.	राजनांदगांव	छुईखदान
14.	बस्तर	जगदलपुर
15.	सरगुजा	अम्बिकापुर
16.	सूरजपुर	सूरजपुर

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत श्रेणी – द (अति पिछड़े क्षेत्र – 66)

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	बस्तर	बाकावण्ड, बस्तानार, दरभा, लोहण्डीगुड़ा, बस्तर, तोकापाल
2.	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, उसूर
3.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआंकोण्डा
4.	कांकेर	अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोण्डल, नरहरपुर, कोयलीबेड़ा
5.	कोण्डागांव	केशकाल, कोण्डागांव, बड़ेराजपुर, माकड़ी, फरसगांव
6.	गरियाबंद	देवभोग, मैनपुर,
7.	नारायणपुर	नारायणपुर, ओरछा (आबुझमाड़)
8.	सुकमा	कोंटा, छिंदगढ़, सुकमा
9.	बिलासपुर	मरवाही
10.	राजनांदगांव	मोहला, छुरिया, अंबागढ़–चौकी, मानपुर
11.	बलरामपुर	बलरामपुर, कुसमी, राजपुर, रामचन्द्रपुर, शंकरगढ, वाड्रफनगर
12.	जशपुर	जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला, मनोरा, कांसाबेल, फरसाबहार
13.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, भरतपुर, खड़गवां, सोनहत
14.	सरगुजा	लुण्ड्रा, सीतापुर, बतौली, लखनपुर, मैनपाट, उदयपुर
15.	सूरजपुर	प्रतापपुर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी, रामानुजनगर

परिशिष्ट–8

औद्योगिक नीति 2019–24 अंर्तगत गैर वित्तीय सुविधाएं –

(इस नीति की कंडिका 18 संदर्भ में)

1. भूमि व्यपवर्तन हेतु व्यपवर्तन के संपूर्ण अधिकार जिला स्तर पर संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को दिये गये हैं। भू व्यपवर्तन के पश्चात् भू–राजस्व का पुर्ननिर्धारण भी जिला कलेक्टर द्वारा 30 दिवसों की समय–सीमा में किया जावे, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किये जावेंगे।
2. औद्योगिक परियोजनाओं / उद्योगों की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों (नगर पालिका / नगर परिषद् / नगर निगम / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत) द्वारा लिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने / डीम्ड अनापत्ति मान्य किये जाने / ग्रामीण आबादी से 2 किलोमीटर दूर उद्योगों की स्थापना पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने बाबत् यथोचित संशोधन संबंधित अधिनियमों में किये जावेंगें। इस हेतु सीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी बनाने के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
3. औद्योगिक प्रयोजन के लिए क्रय की गई भूमि के लिए कृषि भूमि जोत सीमा अधिनियम में 5 वर्ष की छूट प्रदाय की जावेगी ।
4. औद्योगिक परियोजनाओं / उद्योगों की स्थापना हेतु वांछित क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल व सुसम्य बनाने हेतु निम्नानुसार संशोधन किये जायेंगें :–

   4.1 छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं सरंक्षण मण्डल द्वारा उद्योगों को दी जानी वाली परिचालन सम्मति की नवीनीकरण की अवधि बढ़ाकर रेड श्रेणी के उद्योगों के लिए 5 वर्ष, आरेंज श्रेणी के उद्योगों लिए 10 वर्ष तथा ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए 15 वर्ष की अवधि हेतु दी जावेगी।

   4.2 एक ही परिसर में किये जाने वाले क्रियाकलापों के लिए पृथक–पृथक परिचालन सम्मति के स्थान पर सम्मतियों को एकीकृत कर एकल प्रमाण–पत्र जारी किये जावेंगें एवं भविष्य में परिचालन सम्मति एक ही होगी।

   4.3 इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का नवीनीकरण 5 वर्ष की अवधि हेतु किया जावेगा।

   4.4 छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियमों के अन्तर्गत समस्त उद्योगों के लिए भण्डारण अनुज्ञा पत्र की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष की जावेगी।

   4.5 किसी औद्योगिक इकाई के स्वरूप (एकल स्वामित्व साझेदारी प्राइवेट लिमिटेड) का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) में परिवर्तन होने पर उनके पंजीयन हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में परीक्षण कर नियमों में आवश्यक सुधार के प्रयास किये जावेंगे ।

5. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहरा करारोपण न किया जावे इस हेतु समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को को स्थानीय निकायों की परिधि से बाहर रखने हेतु परीक्षणोपरान्त संबंधित अधिनियमों में यथोचित संशोधन किये जावेंगें/अधिसूचनाएं जारी की जावेगी।

6. औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग विभाग/ सीएसआईडीसी के माध्यम से आबंटित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रचलित भू–हस्तांतरण शुल्क में कमी की जावेगी एवं प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावेगा।

7 प्रत्येक जिले में उत्पादन होने वाले प्रमुख फलों, फूलों, सब्जियों एवं औषधीय वनस्पतियों के प्रसंस्करण हेतु उन्हीं जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को उस जिले में स्थापित किए जाने वाले अन्य उद्योगों से अधिक प्रोत्साहन प्रदाय किए जाएंगे।

8 वर्तमान में प्रभावशील बंद एवं बीमार उद्योग नीति की समीक्षा कर उसका युक्तियुक्तकरण किया जावेगा।

9 सेवा श्रेणी उद्यमों को उत्पादन प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे, ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जा सकें।

10 सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्कों में मांग के आधार पर निर्मित कर भवन/शेड (अधिकतम 10,000 वर्ग फुट के भूखण्ड पर) उपलब्ध कराये जावेंगे।

11 राज्य के हस्तशिल्प, बुनकरों एवं मिट्टी और कांसाधातु के उद्योगों के विकास के लिये राज्य के भंडार क्रय पोर्टल ई–मानेक (E-MaNe-C) के द्वारा विपणन का माध्यम उपलब्ध कराया जावेगा।

12 नीति के इस परिशिष्ट–8 में प्रस्तावित सुविधाओं के लिए हेतु विस्तृत प्रावधान पृथक से सुविधाओं के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना के अनुसार प्रवृत्त होंगे।

————————0000————————

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर दिनांक 1 /6/2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24"** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की कंडिका–15 **"औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान"** के कंडिका 15.23 के पश्चात कंडिका – 15.24, 15.25 एवं 15.26 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे :–

15.24 *"छत्तीसगढ़ राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 6 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आने पर विशेष Early Bird Incentive के रूप में उत्पादन दिनांक से एक वर्ष के उपरांत, निवेशित राशि का 1 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 2 करोड़ अनुदान दिया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।*

15.25 *"छतीसगढ राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित तथा उक्त अतिरिक्त सुविधाओं को प्राप्त करने की अवधि में स्थापित क्षमता प्रति 100 किलोलीटर प्रतिदिन के सापेक्ष में राज्य के न्यूनतम 50 नवीन व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। यह पुष्टि इकाई द्वारा जमा किए गए ईपीएफ एवं ईएसआई सर्टिफिकेट के आधार पर की जावेगी।*

15.26 *"छत्तीसगढ़ राज्य राज्य में बायो एथेनॉल के उत्पादन हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में एक स्थान पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक ही धान आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहन की पात्रता होगी। इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।"*

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की परिशिष्ट–4 **"औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत संपूर्ण राज्य हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची"** के सरल क्रमांक–1 "एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस" को इस परिशिष्ट–4 से विलोपित किया जाता है।

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

– Sd –
(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

608
6-6-2020

4 JUN 2020

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 1/6/2020

क्रमांक एफ 20–105/2017 /11/6:: चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक 15.13 के अनुक्रम में Bespoke Policy के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उपार्जित किये जा रहे धान में से राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के उपरांत शेष बचे धान का उपयोग करने हेतु बायो–एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में बायो–एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

(अ) औद्योगिक नीति 2019–24 के बिंदु क्रमांक 15.13 के अनुसार रु. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले एथेनॉल उत्पादक इकाईयों को Bespoke Policy के तहत निम्नानुसार सुविधाओं हेतु छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों द्वारा निर्देश जारी करने तथा प्रत्येक संबंधित इकाई के साथ अनुबंध किया जावे जिससे निवेशकों को भविष्य में किसी निर्णय से विपरीत प्रभाव न हों:–

1 *वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को भारत सरकार द्वारा अनुमति के अधीन मार्कफेड से धान की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दर) + प्रशासकीय व्यय तथा वास्तविक परिवहन की दर पर कच्चे माल धान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धान की खरीदी उपरांत राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।*

2 *राज्य में बायो एथेनॉल रिफायनरी हेतु एमओयू हस्ताक्षरित करने वाली कंपनी को इकाई की स्थापित क्षमता का प्रथमतः न्यूनतम 60 प्रतिशत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में मार्कफेड से धान खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दर+ प्रशासकीय व्यय तथा वास्तविक परिवहन दर) दर पर खरीदना अनिवार्य होगा, जिसकी न्यूनतम मात्रा 100 किलोलीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन क्षमता वाली एथेनॉल इकाई के अनुसार होगी। 100 किलोलीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन क्षमता हेतु आवश्यक शेष 40 प्रतिशत क्षमता हेतु आवश्यक धान की खरीदी राज्य की मण्डियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से अतिरिक्त धान क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।*

3 *100 किलोलीटर प्रतिदिन से अधिक क्षमता वाली एथेनाल इकाईयों को प्रथमतः 60 प्रतिशत आवश्यक धान की मार्कफेड से अनिवार्य खरीदी उपरांत शेष क्षमता हेतु राज्य की मडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से अतिरिक्त धान क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।*

इसकी पुष्टि हेतु कृषि विभाग/खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करने हेतु व्यवस्था करेगा।

4 मार्कफेड से धान की न्यूनतम खरीद मात्रा हेतु आवश्यक धान की मात्रा का निर्धारण ऊर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ बायो डीजल अथॉरिटी द्वारा किया जावेगा। ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार "छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित धान से प्राप्त चावल में Startch content की की मात्रा लभगग 74% w/w पाई जाती है, जिससे बायो एथेनाल का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त आकड़े के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति 2.25 कि.ग्रा. धान संसाधित (Processed) करने पर 01 लीटर बायो–एथेनॉल उत्पादन होगा।

तदनुसार प्रत्येक 100 किलोलीटर (1,00,000 लीटर) प्रतिदिन बायो–एथेनॉल उत्पाद संयंत्र में प्रतिदिन अनुमानित 2,25,000 कि.ग्रा. धान की आवश्यकता होगी, जिसका 60 प्रतिशत हेतु प्रतिदिन आवश्यक धान की मात्रा (100 X 1000 X 2.25 X 60%) 1,35,000 किलोग्राम आकलित होती है।"

परन्तु, भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धान की खरीदी राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।

5 छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग द्वारा राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को बायो–एथेनाल उत्पादन के साथ–साथ उत्पादित बाय–प्रोडक्ट ई.एन.ए. (Extra Neutral Alcohol) के राज्य में उत्पादन एवं राज्य के बाहर विक्रय की अनुमति दी जायेगी। साथ ही इस संबंध में संबंधित इकाई के साथ सक्षम स्तर के अधिकारी के साथ अनुबंध की व्यवस्था की जायेगी।

साथ ही शर्त यह होगी कि "राज्य में बायो एथेनॉल के साथ–साथ उत्पादित बाय प्रोडक्ट ई.एन.ए. उत्पादन करने वाली इकाईयों के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा देय अनुज्ञप्ति फीस, आबकारी शुल्क एवं अन्य फीस का संदाय करना होगा। उत्पादित बायो एथेनॉल को विप्रकृत (डिनेचर्ड) ऐसी रीति से किया जाना होगा जो आबकारी विभाग द्वारा इस निमित्त निहित किया जाये।"

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत हुए निर्णय के अनुसार समस्त संबंधित विभाग अपने विभाग में सभी सुसंगत कार्यवाही पूर्ण करेंगें।

यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जायेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ता. —

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–105/2017/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
5. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर
6. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....
8. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

आ. 607 08-6-2020

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

4 JUN 2020

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24'** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 5.1 के उप बिन्दु क्रमांक–(1) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(1) एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में भूमि औद्योगिक इकाई/कंपनी के नाम से होना अनिवार्य है।

"परंतु, निजी भूमि पट्टे (किराये पर) के प्रकरणों में पट्टे (किराये पर) की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष के लिए इकाई के नाम अनिवार्य होगा।"

(दो) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 5.1 के उप बिन्दु क्रमांक–(2) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(2) शेड–भवन – कंडिका 1 की भूमि पर नवीन शेड एवं भवन निर्माण किया गया हो।

'परंतु, शेड/भवन पट्टे (किराये पर) लिये जाने के प्रकरणों में पट्टे (किराये पर) की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष के लिए इकाई के नाम पर पट्टे (किराये पर) लिया जाना अनिवार्य होगा।"

(तीन) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(7) "विद्यमान उद्योग के विस्तार" से आशय ऐसे उद्योगों से है जिन्होंने नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेशित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश किया हो, जिससे उद्योग विभाग में पंजीकृत क्षमता या औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती हो इसके अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को अथवा उसके पश्चात् से 31 अक्टूबर, 2024 के मध्य हो। "विस्तारीकरण" की प्रक्रिया प्रारंभ करने के

पूर्व विद्यमान इकाई को सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया हो) इस बाबत् सूचना देकर विस्तार हेतु प्रस्तावित निवेश की निर्धारित मात्रा के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक के पश्चात् नवीन उद्योग स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाईयों को उनके उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने, सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत नवीन उद्योग में विस्तार करने पर विस्तार से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों की इस नीति में घोषित अधिकतम सीमा के अधीन पात्रता होगी, यदि उक्तानुसार पैरा में अंकित निवेश, रोजगार तथा उत्पादन संबंधी शर्तों की पूर्ति होती हो।

(चार) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 8 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(8) ***अ.(1) "सूक्ष्म उद्योग"*** *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 25 लाख से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।*

अ.(2) "लघु उद्योग" *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में रू. 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो।*

ब.(1) "सूक्ष्म सेवा उद्यम" *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 10 लाख से अधिक का निवेष नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं सेवा प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।*

ब.(2) "लघु सेवा उद्यम" *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 2 करोड़ से अधिक का निवेष नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं सेवा प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।*

(पांच) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 9 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(9) ***अ. "मध्यम उद्योग"*** *से आशय ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में रू. 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा औद्योगिक इकाई ने यथास्थिति उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./ आशय पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित हो।*

ब. "मध्यम सेवा उद्यम" *से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उद्यम आकांक्षा एवं सेवा गतिविधि प्रारंभ किए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा गतिविधि प्रारंभ किए जाने का प्रमाण–पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो।*

(छै:) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 10 में वर्तमान प्रविष्टी **"वृहद उद्योग" की परिभाषा** के पश्चात निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जावे अर्थात :–

*(10) **"वृहद सेवा उद्यम"** से आशय ऐसे उद्यम से है जिसमें मध्यम सेवा उद्यम हेतु निर्धारित पूंजी निवेश की सीमा से अधिक पूंजी निवेश किया गया है, एवं स्थायी पूंजी निवेश रू. . 100 करोड़ तक हो तथा सेवा गतिवधि प्रारंभ करने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा गतिविधि प्रांरभ किये जाने का प्रमाण पत्र धारित हो।*

(सात) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 11 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(11) "मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने 100 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु 1000 करोड़ रूपये तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो। इस हेतु उनके पक्ष में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आई.आई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र जारी किया गया हो एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की स्थिति में राज्य के उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी किया गया हो।

*"मेगा प्रोजेक्ट" की परिभाषा के तहत दी गई **तालिका के अनुक्रमांक–4 पर दर्शित श्रेणी 'टेक्सटाईल" के लिये न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 5.00 करोड़ के स्थान पर रू. 10.00 करोड़ पढ़ा जावे।***

(आठ) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 18 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(18) "स्थायी पूंजी निवेश" से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का प्रतिस्थापन/शवलीकरण/ विस्तारीकरण (जो लागू हो) हेतु भूमि/भूमि–विकास, शेड–भवन निर्माण, नवीन प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण पर किये गये निवेश।

विद्यमान उद्योगों का प्रतिस्थापन/ शवलीकरण/ विस्तारीकरण की पूर्वानुमति दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में छः माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम के प्रकरणों में यह अवधि 12 माह, वृहद उद्योगों हेतु अठ्ठारह माह एवं मेगा व अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु चौबीस माह होगी।

(नौ) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 33 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*(33) **"शवलीकरण"** से आशय ऐसे विद्यमान उद्योग से है जो इस नीति के नियत दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है बशर्ते विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 % किया हो तथा कुल रोजगार में भी 10 % की*

वृद्धि हुई हो। "शवलीकरण" की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विद्यमान इकाई को अनिवार्यतः सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी किया हो) को इस बाबत् सूचना देकर सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक के पश्चात् नवीन उद्योग स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाईयों को उनके उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने, सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत नवीन उद्योग में शवलीकरण करने पर शवलीकरण से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों की इस नीति में घोषित अधिकतम सीमा के अधीन पात्रता होगी, यदि उक्तानुसार पैरा में अंकित निवेश तथा रोजगार संबंधी शर्तों की पूर्ति होती हो।

(दस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 34 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*(34) **प्रतिस्थापन** से आशय है कि सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों में औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी का न्यूनतम 125% निवेश, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुसार, पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कुल रोजगार में 10% की वृद्धि होती हो तो उन्हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन होने पर स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि के 50% तक की सीमा में छूट की पात्रता होगी। इस हेतु प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों को न्यूनतम **5 वर्ष** पुराना होना चाहिये। यह भी आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात प्रतिस्थापन के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा। साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करना होगा।*

(ग्यारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*(7) "टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं **रेडिमेड गारमेंट्स व** अन्य प्रक्रिया) **(नॉन वोवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर)"।***

(बारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 16 पर नवीन बिन्दु एवं क्रमांक 16 को क्रमांक 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

क्रमांक–16 *"भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी)"*

क्रमांक–17 *"ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।"*

(तेरह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 के परिशिष्ट–6.2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान –

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प लिए जाने पर) देय होगा –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	35	35	40	60	45	65
	ब	35	40	40	65	45	70
	स	35	60	35	80	40	90
	द	45	70	40	90	45	100
मध्यम उद्योग	अ	30	60	35	70	40	80
	ब	35	70	40	80	45	90
	स	35	80	45	100	45	110
	द	40	100	45	110	50	120

टीप –

(1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार परिशिष्ट–6.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा परिशिष्ट 6.3 अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(चौदह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 16.4 के परिशिष्ट–6.4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

"केवल पात्र नवीन उद्योगों" के स्थान पर "पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शवलीकरण" प्रतिस्थापित किया जावे।"

(पंद्रह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–4 के परिशिष्ट–6.4 में वर्णित "ब" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(ब) ***कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योग*** *– इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –*

1	श्रेणी अ (परिशिष्ट–7 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट
2	श्रेणी ब (परिशिष्ट–7 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट
3	श्रेणी स (परिशिष्ट–7 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट

4	श्रेणी द (परिशिष्ट–7 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

*टीप– केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं **वेस्ट हीट रिकवरी** वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।*

(सोलह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–18 के परिशिष्ट–6.18 में वर्णित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों **(खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु)** के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 05 वर्ष तक होगी।*

(सत्रह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–19 के परिशिष्ट–6.19 में वर्णित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

"मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मेगा एवं अल्ट्रा मेगाप्रोजेक्ट्स के प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज की अनुमति प्रदान करेगी।"

*मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु **न्यूनतम पैकेज** इस नीति में उल्लेखित निवेश व पात्रता के अनुसार होगी, इससे अधिक औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु इकाईयों की मांग पर उपरोक्तानुसार कैबिनेट समिति विचार कर निर्णय लेगी।*

(अठारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–19 के परिशिष्ट–6.19 के पश्चात अनुक्रमांक–20 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे अर्थात :–

<u>औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत–</u>

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित तालिका में वर्णित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्र.	क्षेत्र	उच्च प्राथमिकता उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	सामान्य उद्योग
1	श्रेणी–अ (विकसित क्षेत्र परिशिष्ट–7 (अ))	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 20 प्रतिशत	निरंक
2	श्रेणी–ब (विकासशील क्षेत्र परिशिष्ट–7 (ब))	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	निरंक
3	श्रेणी–स (पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट–7 (स))	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत
4	श्रेणी–द (अति पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट–7 (द))	भू–प्रब्याजि में 60 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत

(उन्नीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–20 के परिशिष्ट–6.20 के पश्चात अनुक्रमांक–21 को परिशिष्ट–6.21 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे अर्थात :–

राज्य के स्टार्ट–अप इकाईयों के लिए पैकेज :–

*औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक–12 के अंतर्गत राज्य में स्टार्ट–अप एकक/इकाईयों (सेवा एवं विनिर्माण) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट पैकेज तैयार किया गया है जो कि **परिशिष्ट–6.21** के रूप में निम्नानुसार है:–*

परिशिष्ट–"6.21"

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज

*अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् **"स्टार्ट अप पैकेज"** को नियमानुसार लागू करता है :–*

1. परिभाषाएं :–

स्टार्टअप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक/इकाई को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जायेगा :–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक/इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ग) यदि यह उत्पादों या प्रकियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को 'स्टार्ट अप' नहीं माना जाएगा।

2 स्पष्टीकरण :–

1. कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक होने पर "स्टार्ट अप" के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. एकक/इकाई का अर्थ है – कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत् पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।

*3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित **(भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित)** किए अनुसार मान्य होगी।*

4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा।

5. औद्योगिक नीति 2019–24 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत् स्टार्टअप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत् निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :–

1. **ब्याज अनुदान :–**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति–**
(केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत

द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

4. **विद्युत शुल्क छूट :-**

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 05 लाख।

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राषि रू 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15,000/– एवं देश के बाहर रू. 30,000/– तथा रू. 1,00,000/– प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी।

8. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू–प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट ।

9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षो के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी।

10. स्टार्टअप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

10.1 **किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले **स्टार्ट अप इकाईयों** को वैध रहने पर 03 वर्षो तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

10.2 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का

किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/– प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

11. स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :–

11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर मे किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू 03 लाख प्रति वर्ष।

12. राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी।

14. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा।

15. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

16. स्टार्टअप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपर्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है।

17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

18. प्रदेश में स्टार्ट अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय–समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्ट अप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्ट अप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

20. स्टार्ट अप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का

प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके।

21. *उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।*

22. *इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्ट अप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।*

23. *इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्ट अप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो।*

24. *इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।*

25. *पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।*

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रकियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

(बीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–21 के परिशिष्ट–6.21 के पश्चात अनुक्रमांक–22 को परिशिष्ट–6.22 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे तथा कंडिका–15.4 में "अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी" को विलोपित किया जावे अर्थात :–

परिशिष्ट–"6.22"

औद्योगिक नीति 2019–24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज

औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 8 के पश्चात् अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में निम्नानुसार परिशिष्ट 9 जोड़ा जाये –

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेंगी :–

(6.22.1) ***ब्याज अनुदान*** *:– पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा : –*

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	75	20	6	75	25	7	75	30
	ब	6	75	25	7	75	30	8	75	35
	स	7	75	40	8	75	50	9	75	55
	द	8	75	45	10	75	55	11	75	60
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	75	30	5	75	40	6	75	45
	ब	6	75	35	6	75	45	7	75	50
	स	7	75	45	8	75	60	9	75	65
	द	8	75	50	10	75	65	11	75	70

(6.22.2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा–

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	40	40	45	80	45	90
	ब	40	50	45	90	45	100
	स	45	60	50	100	50	110
	द	45	70	50	110	50	120
मध्यम उद्योग	अ	35	80	40	90	40	100
	ब	40	90	45	100	45	110
	स	45	100	45	125	45	130
	द	45	120	45	130	50	140

टीप –

(1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(6.22.3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :–

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप :–

(1) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिये मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

(2) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(6.22.4) विद्युत शुल्क छूट :–

पात्र **सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित)** के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण प्रकरणों में विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप– केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं **वेस्ट हीट रिकवरी** वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(6.22.5) मंडी शुल्क से छूट :–

नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/ राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट–4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6.22.6) अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत :–

इस नीति के परिशिष्ट 6.10 में यथा प्रावधानित ।

(6.22.7) परिवहन अनुदान :–

औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019–24 की समयावधि तक मिलेगी।

(6.22.8) <u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)</u> :–

नीति के परिशिष्ट 6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा।

***टीप–** उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगे।*

(इक्कीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 की उप कंडिका क्रमांक 15.1 के अनुक्रमांक–5 परिशिष्ट–6.5 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

विभाग द्वारा जारी औद्योगिक नीति की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/6 दिनांक 31.10.2019 के परिशिष्ट–5 में वर्णित टीप की अंतिम पंक्ति " स्टाम्प शुल्क से छूट, विद्युत शुल्क छूट की पात्रता इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित अनुसार तथा दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान के मामले में उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये पात्रता होगी।

यह सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ता० —

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–01/2019/11/(6) **नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020**

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ... विभाग(समस्त), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
5. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 22 मई, 2021

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की **"औद्योगिक नीति - 2019-24"** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के के बिन्दु क्रमांक-15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक-2 के कॉलम-2 में वर्णित **"स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों हेतु)"** को ***"स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों हेतु)"*** पढ़ा जावे।

(दो) उक्त अधिसूचना द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-3 के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योगों की सूची में (अ) वर्गीकरण के आधार पर - के **"अनुक्रमांक-10"** में वर्णित **"मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट"** को **"विलोपित"** करते हुए इसे परिशिष्ट - 2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में **"अनुक्रमांक-18"** पर **"मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट"** का समावेश किया जाता है।

(तीन) उक्त अधिसूचना द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में "अनुक्रमांक-18" के पश्चात् अनुक्रमांक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 के रूप में निम्नानुसार नवीन वस्तुओं का समावेश किया जाता है :-

अनुक्रमांक-19 - मेडिकल ग्रेड आक्सीजन गैस (लिक्विड एवं गैसीयस माध्यम से)
अनुक्रमांक-20 - आक्सीजन गैस सिलेण्डर,
अनुक्रमांक-21 - आक्सीजन कन्सनट्रेटर,
अनुक्रमांक-22 - क्रायोजेनिक गैस टेंकर,
अनुक्रमांक-23 - फेस मास्क, नॉन रिब्रिदर मास्क, आक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला आदि,
अनुक्रमांक-24 - नॉन इन्वेसीव वेन्टिलेटर, इन्वेसीव वेन्टिलेटर,
अनुक्रमांक-25 - सर्जिकल दस्ताने, पी पी ई किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर,

mm2

अनुक्रमांक 26 - कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्युटिकल्स, बीमारियों से संबंधित से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं।

अनुक्रमांक 27 - टीका बनाने के उपकरण, RT-PCR Test, True-nat Test, Antigen Test, *के लिए आवश्यक* Reagents.

उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-01/2019/11/(6)   नवा रायपुर, दिनांक 22 मई, 2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
5. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....(छत्तीसगढ़)

27 MAY 2021

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-01 /2021/11-6: चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन एतद् द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31/10/2019 के द्वारा लागू राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती है ।

//संशोधन//

(एक) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-10 में प्रावधानित परिशिष्ट- 6.10 में वर्णित "**अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत** (केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए) के बिन्दु क्रमांक-1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"उद्योग विभाग में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत् छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में निर्धारित "द" श्रेणी के विकासखण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभाग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ संधारित लैण्ड बैंक/अविकसित भूमि में औद्योगिक पार्को/क्षेत्रों के लिए चिन्हांकित भूमि को छोड़कर विभागीय लैण्ड बैंक में उपलब्ध अन्य भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना हेतु भूमि आबंटन के लिए प्रब्याजि की दर क्षेत्र विशेष के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईडलाईन दर के 10 प्रतिशत् राशि के बराबर होगी। यह निवेश प्रोत्साहन किसी भी हितग्राही को मात्र एक इकाई हेतु अधिकतम 10 एकड़ भूमि के लिए उपलब्ध होगी इस मामले में यह भी अवश्यक होगा कि आवेदित भूमि एकचक में विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध हो।

(दो) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में नीति के परिशिष्ट-3 में वर्णित प्राथमिकता उद्योगों की सूची में "**(अ) वर्गीकरण के आधार पर**" के अनुक्रमांक-8 पर स्थित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जाता है :-

8 *विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण तथा सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।*

(तीन) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में नीति के परिशिष्ट-3 में वर्णित प्राथमिकता उद्योगों की सूची में **"(ब) उत्पाद आधारित"** में अनुक्रमांक-24 की वर्तमान प्रविष्टी को 25 पर अंतरित करते हुए अनुक्रमांक 24 पर नवीन प्रविष्टि का निम्नांकित अनुसार समावेश किया जाता है :-

24 निजी भूमि पर किये गये वृक्षारोपणों से प्राप्त काष्ठ पर आधारित उद्योग ।

25 ऐसे अन्य उत्पादन जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(चार) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक-21 में वर्णित प्रावधान के अनुसार उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों के प्रावधान को संशोधित (प्रतिस्थापित) करते हुये, कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका में अनुक्रमांक-24 पर "एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची" को नवीन परिशिष्ट-6.24 पर समावेश किया जाता है :-

उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को नीति के परिशिष्ट 6.24 में सूचीबद्ध सेवा गतिविधियों को परिशिष्ट की तालिका के कॉलम-2 दर्शित क्षेत्रों के अनुसार एवं कॉलम-3 में वर्णित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश करने पर इस नीति के प्रावधानों में अन्यथा निर्धारित पात्रतानुसार सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जावेगा ।

उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योगों केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेगें ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध हो सके।

परिशिष्ट-6.24

औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका - 21 के अंतर्गत मान्य एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची

क्रं.	सेवा गतिविधि का नाम	न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश की सीमा (राशि रूपये लाख में)
1	एनएबीएल प्रमाणित औद्योगिक/सामग्री परीक्षण सेवा प्रयोगशाला की स्थापना	15
2	उद्योग से संबंधित अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना	100
3	मशीन संचालित बीज ग्रेडिंग सेवाएं की स्थापना	05
4	पावर लांड्रिज की स्थापना	25
5	सामान्य इंजीनियरिंग एवं फेब्रीकेशन की सेवा इकाई की स्थापना	05
6	ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग सेन्टर सेवा इकाई की स्थापना, केवल 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखण्डों में स्थित इकाईयों के लिये	10
7	ओ.ई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त पहिया संतुलन केन्द सेवा इकाई की स्थापना, केवल 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखण्डों में स्थित इकाईयों के लिये	05

8	हॉलमार्क प्रमाणन सेवा केन्द्र की स्थापना	10
9	थ्री डी प्रीटिंग जॉब वर्क इकाई की स्थापना	10
10	सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं इकाई की स्थापना (IT & IT Enabled Services)	50
11	हॉस्पिटालिटी/पर्यटन/एम्युजमेंट पार्क की स्थापना	500
12	मनोरंजन (एनीमेशन/व्ही.एफ.एक्स, गेमिंग, डबिंग) सेवा केन्द्र की स्थापना	05
13	Business Process Outsourcing (BPO) सेवा केन्द्र की स्थापना	30
14	इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन सेवा केन्द्र की स्थापना	10
15	जिम, व्यायाम शाला सेवा केन्द्र की स्थापना, केवल 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखण्डों में स्थापित इकाईयों के लिये	10
16	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य सेवा गतिविधियां/क्षेत्र।	--

(पांच) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका में अनुक्रमांक-2 पर वर्णित एवं परिशिष्ट-6.2 अंकित तालिका में निम्नलिखित सुधार किया जाता है :-

(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ''स'' श्रेणी के विकासखंडों में प्राथमिकता श्रेणी के ''35'' प्रतिशत अनुदान को ''40'' प्रतिशत अनुदान किया जाता है।

(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ''स'' श्रेणी के विकासखंडों में उच्च प्राथमिकता श्रेणी के ''40'' प्रतिशत अनुदान को ''45'' प्रतिशत अनुदान किया जाता है।

तालिका के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(छः) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.26 के पश्चात नवीन प्रावधान कंडिका क्रमांक 15.27 का निम्नानुसार समावेश किया जाता है :-

(15.27)

(15.27.1) ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत् क्रय किये जाने पर नवीन क्रेता के द्वारा उद्योग आरंभ किये जाने पर इकाई को ''नवीन इकाई'' के रूप में अनुदान की पात्रता होगी।

उपरोक्त स्थिति में निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि तथा अनुबंध के निष्पादन दिनांक से उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक एवं उत्पादन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों हेतु 6 माह, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम हेतु 12 माह, वृहद उद्योगों हेतु 18 माह एवं मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु 24 माह तक किया गया निवेश मान्य होगा।

(15.27.2) ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया तथा विभाग से स्टाम्प शुल्क/भू-प्रीमियम में छूट प्राप्त किया गया है किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ती को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत् क्रय किये जाने पर, नवीन क्रेता के पक्ष में पूर्व में लिए गए छूट यथा स्टाम्प शुल्क छूट/भू-प्रीमियम में छूट की अधिसूचना के शर्तों के अधीन शेष अनुदान/छूट/रियायत हेतु पात्रता होगी।

(15.27.3) ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरांत तथा वर्तमान में उत्पादनरत/बंद है परंतु विभाग से किसी भी प्रकार के अनुदान/छूट/रियायत नहीं लिया गया है। इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत् क्रय किए जाने पर ''नवीन इकाई'' के रूप में इस नीति के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो मान्य किया जाएगा तथा इकाई में विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन किए जाने पर भी नियमानुसार इस नीति के तहत् अनुदान, छूट की पात्रता होगी।

(15.27.4) ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है तथा वर्तमान में उत्पादनरत है, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी है। ऐसी इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी को विक्रय करने से पूर्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। विधिवत् अनुमति पश्चात् इकाई को केवल प्रतिस्थापन/शवलीकरण/विस्तार की स्थिति में नियमानुसार अनुदान/छूट/रियायत की पात्रता होगी।

(15.27.5) ऐसी इकाई जो पूर्व में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हो तथा वर्तमान में बंद हो, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी हो। ऐसी स्थिति में क्रेता ऐसी इकाई, विभाग द्वारा लागू बंद एवं बीमार उद्योग नीति के तहत् अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर सकती है।

(15.27.6) औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं सहित जिन सेवा इकाईयों को इस नीति के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, ऐसी इकाईयां वाणिज्यिक/औद्योगिक व्यपवर्तित भूमि अथवा संबंधित सेवा हेतु व्यपवर्तित भूमि पर स्थापित हो सकेंगी।

(सात) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.23 में वर्णित प्रावधान के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिये प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित (प्रतिस्थपित) किया जाता है :-

राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर

(डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे ।

परंतु, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में उपरोक्त निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्धता कम होने के कारण 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इन प्रावधानों का लाभ उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए प्रकरण स्वीकृत किये जा सकेंगे।

उपरोक्त अनुसार मूल प्रस्तावित क्षेत्रों के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 300 लाख तक अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे ।

(आठ) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न विषयों पर किये गये संशोधन दिनांक 01 नवंबर, 2019 से लागू मान्य किये जाते हैं :-

क्र	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	विषय का संक्षिप्त विवरण
1	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 01 जून 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को पात्रता के संबंध में प्रावधान का समावेश हेतु संशोधन।
2	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 30 जुलाई 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को सहकारी क्षेत्र के साथ पीपीपी मोड में स्थापना पर पात्रता के संबंध में प्रावधान का समावेश हेतु संशोधन।
3	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 14 सितम्बर 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को अर्ली बर्ड इन्सेंटिव हेतु 06 माह के स्थान पर 18 की अवधि के प्रावधान हेतु संशोधन।
4	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर 2020,	स्टार्टअप पैकेज, अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग पैकेज, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान आदि का प्रावधान समावेश एवं अन्य संशोधन।
5	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 04 नवम्बर 2020,	वनांचल उद्योग पैकेज का समावेश एवं अन्य संशोधन।

(नौ) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में परिशिष्ट-2 में वर्णित उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में अनुक्रमांक-17 की वर्तमान प्रविष्टि को अनुक्रमांक-18 पर अंतरित करते हुए अनुक्रमांक 17 पर नवीन प्रविष्टि निम्नांकित अनुसार समावेश की जाती है :-

17 धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने योग्य जूट बैग/ बारदाना निर्माण उद्योग।

18 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जावें।

उपरोक्त (एक) से (नौ) तक के संशोधन औद्योगिक नीति 2019-24 में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से लागू माने जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ताक्षरित —

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. एफ 20-01 /2021/11- नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1 **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला- रायपुर।

2 **संचालक,** उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, भू-तल रिंग रोड नं. 1 तेलीबांधा, रायपुर।

3 **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, प्रथम तल रिंग रोड नं.1 तेलीबांधा, रायपुर ।

4 **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

5 **समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
--00--

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक जुलाई, 2023

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी " **औद्योगिक नीति 2019-24**' में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 (उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची) अनुक्रमांक 28 पर निम्नानुसार समावेश किया जाता है :-

अनुक्रमांक-28 – *"भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों को स्क्रैप किये जाने से संबंधित उद्योग की स्थापना"*

(2) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.5 "**स्टाम्प शुल्क से छूट**" के प्रथम पैरा को दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

*निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की **"नवीन उद्योग स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण"** को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित परिशिष्ट - 5 अनुसार) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :-*

(3) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.5 "**स्टाम्प शुल्क से छूट**" की उपकंडिका-5.7 के पश्चात् नवीन उपकंडिका-5.8 का निम्नानुसार समावेश किया जाता है, अर्थात :-

5.8 "औद्योगिक नीति-2019-24 के परिशिष्ट 6.24 में वर्णित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यम हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि/भवन से संबंधित विलेखों पर।"

(4) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.6 "**मंडी शुल्क से छूट**" के प्रथम पैरा को दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

राज्य में स्थापित होने वाले ''नवीन/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन /शवलीकरण'' अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/राज्य के बाहर से कच्चामाल क्रय करने पर मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% से अधिक नहीं होगी।

(5) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.22 की उपकंडिका-6.22.5 **''मंडी शुल्क से छूट''** प्रदान करने हेतु अंकित प्रावधान को दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

राज्य में स्थापित होने वाले ''नवीन/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन /शवलीकरण'' अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/राज्य के बाहर से कच्चामाल क्रय करने पर मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6) औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-6.26 ''छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019'' के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-103/2015/11-6, दिनांक 01.03.2023 की कंडिका क्रमांक-5 की उपकंडिका-5.1 ''बीमार उद्योग'' के आशय को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

***5.1 बीमार उद्योग** - से आशय होगा :-*

(1) कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई (एमएसएमई अधिनियम 2006 यथा संशोधित-2020 के अनुसार) ''बीमार'' तभी समझी जावेगी यदि इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :

इकाई का सबसे अधिक ऋण वाला उधारी लेखा 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एन.पी.ए. (Non Performing Asset) बना रहे।

अथवा

इकाई के नेटवर्थ में कमी हुई हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 25 प्रतिशत की सीमा तक हो।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में एक बीमार उद्योग वह कहलायेगा जिसका ऋण खाता 6 माह या उससे अधिक अवधि हेतु NPA (Non

Performance asset) हो गया हो या उद्योग में लगातार हानि (संचित हानि) होने के कारण उद्योग के नेटवर्थ में गत वर्ष के अंकेक्षित लेखों के आधार पर 25 प्रतिशत की कमी आ गई हो।

(7) औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-6.26 ''छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019'' के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-103/2015/11-6, दिनांक 01.03.2023 के कंडिका क्रमांक-5 की उपकंडिका-5.2 ''बंद उद्योग'' के आशय की उपकंडिका-5.2.2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

5.2.2 – इकाई विगत न्यूनतम लगातार 12 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो अथवा

(8) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वर्णित कंडिका 15.13, 15.21 के संदर्भ में परिशिष्ट-6.19 में वर्तमान प्रावधान के द्वितीय पैरा के पश्चात् निम्नांकित पैरा का समावेश किया जाता है :-

इन प्रावधानों के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगो के स्थापना हेतु Be Spoke Policy ''विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज'' हेतु जारी अधिसूचनाओं में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने हेतु निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर, 2024 के स्थान पर निम्नांकित अनुसार होगी :-

क्र.	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अंतर्गत प्रस्तावित निवेश (राशि रू. करोड़ में)*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से उत्पादन आरंभ करने की अधिकतम समयावधि*
1	*25*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 2 वर्ष*
2	*25 से 100 तक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 3 वर्ष*
3	*101 से 500 तक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 4 वर्ष*
4	*501 से 1000 तक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 5 वर्ष*
5	*1001 से अधिक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 7 वर्ष*

(9) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.18 **''परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)''** को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से निकटतम बन्दरगाह एवं विमानपत्तन पोर्ट जहां से वस्तु का निर्यात होना है तक, वास्तविक भाड़ा (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के बराबर भाड़ा सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख

रूपये प्रतिवर्ष होगी, अधिकतम 05 वर्ष तक होगी। अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी।"

(10) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.4 "**विद्युत शुल्क छूट**" के उप कंडिका-(ब) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

उप बिन्दु (ब)

कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा/ अल्ट्रा मेगा उद्योग - इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं शवलीकरण को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जायेगी :-

इस अधिसूचना के बिन्दु कमांक-2, 4 व 5 को छोड़कर शेष सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

-sd-
(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-01/2019/11/(6) **रायपुर दिनांक** 27 **जुलाई, 2023**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विभाग ....मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. अपर संचालक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छ0ग0 रायपुर
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग